



अनुसूचति जात, जनजात व ओबीसी आरक्षण संबंधी स्थायी समिति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की अनुसूचति जातियों, अनुसूचति जनजातियों व अन्य पछिड़े वर्गों के लिये स्थायी आरक्षण समिति का गठन किया है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचति जातियों, अनुसूचति जनजातियों व अन्य पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के तहत इस समिति का गठन किया गया है।
- राज्य के आदिम जात विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सहि टेकाम की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय इस स्थायी समिति में पाँच वधायक और सामान्य प्रशासन विभाग व आदिम जात विकास विभाग के सचिव शामिल हैं।
- समिति का मुख्य कार्य अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन का पुनर्वलोकन करना है।
- इसके अलावा यह समिति अधिनियम व उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर सुझाव भी देगी।
- अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्थायी समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 4 सितंबर, 2019 को अध्यादेश के माध्यम से प्रदेश में अन्य पछिड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया था, जिससे हाईकोर्ट ने स्थगति करते हुए क्वॉटफिबल डाटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।